Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अक्तूबर, 2017

संख्या 107/एसटी–2.–हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका उस वर्ष, जिसमें ऐसे व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण करवाया है, में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से कम होने की संभावना है और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रशमन उदग्रहण का विकल्प नहीं देता है, को ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रुप में अधिसूचित करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों को आकर्षित करने वाली परिस्थितियों सहित उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट प्रदाय के समय पर माल की जावक प्रदाय पर राज्य कर का भुगतान करेगा, और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय IX और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे और विवरणी प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के भुगतान के लिए विहित अवधि ऐसी होगी जो उक्त अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट है।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th October, 2017

No. 107/ST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees or the registered person whose aggregate turnover in the year in which such person has obtained registration is likely to be less than One Crore and Fifty Lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the state tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

55690—C.S.—H.G.P., Chd.